

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : RHB/CE(HQ)/2019-20/140

दिनांक : 01/08/2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल में उद्यान संवेदको (Horticulture work) के पंजीकरण हेतु नियम निम्नानुसार होंगे :-

- 1 Horticulture work के संवेदको की प्रत्येक श्रेणी के सामने निहित सीमा तक निम्नानुसार निविदा में भाग लेने के योग्य होंगे :-

S.No.	Classes of Contractors	Extent up to which Qualified to tender for any works
1	"H-I" Class	Any Amount
2	"H-II" Class	Up to Rs. 1.00 Crores
3	"H-III" Class	Up to Rs. 50.00 Lacs
4	"H-IV" Class	Up to Rs. 30.00 Lacs

- 2 Horticulture work के संवेदको की प्रत्येक श्रेणी के सामने रजिस्ट्रीकरण (सूचीबद्धकरण) फीस और सूचीबद्धकरण के लिये प्रतिभूति निक्षेप राशि निम्न प्रकार होगी :-

S.No.	Classes of Contractors	Registration Fee (in Rs.)	Security Reposti (in Rs.)
1	"H-I" Class	15,000.00	5,00,000.00
2	"H-II" Class	10,000.00	1,00,000.00
3	"H-III" Class	5,000.00	50,000.00
4	"H-IV" Class	2,000.00	25,000.00

- 3 Horticulture work विशेष प्रकृति का होने के कारण संवेदको की प्रत्येक श्रेणी के पंजीकरण के लिये मण्डल में सूचीबद्धकरण प्राधिकारी मुख्य अभियन्ता (मु0) होंगे।

- 4 Horticulture work के संवेदको की प्रत्येक श्रेणी के सामने सूचीबद्धकरण के लिये पूर्व अनुभव निम्न प्रकार होगा :-

S.No.	Classes of Contractors	Extent up to which Qualified to tender for any works
1	"H-I" Class	Satisfactorily Completed 2 works each costing not less than Rs. 50.00 Lac during three years
2	"H-II" Class	Satisfactorily Completed 2 works each costing not less than Rs. 30.00 Lac during three years
3	"H-III" Class	Satisfactorily Completed 2 works each costing not less than Rs. 15.00 Lac during three years
4	"H-IV" Class	Should have experience in the line and sufficient staff and equipment with them.

- 5 Horticulture work के संवेदको की प्रत्येक श्रेणी H-I, H-II, H-III, H-IV में निम्न प्रकार संगठनात्मक ढांचा होगा :-

Class of Category	Engineer	Machinery	Owend/lease	Staff
H-I	Horticulturist Graduate/B.S.c. Agriculture/ M.Sc. Botany, Degree/Diploma in Forestry	उनके पास प्रर्याप्त उपस्कर और औजार आदि (टेंकर, ब्लेड, गड्डे खोदन का यंत्र लॉनर, मोईग मशीन आदि)	Completely Owned	Sufficient
H-II	Horticulturist Graduate/B.Sc Agriculture/ M.Sc. Botany, Degree/Diploma in forestry	उनके पास प्रर्याप्त उपस्कर और औजार आदि (टेंकर, ब्लेड, गड्डे खोदन का यंत्र लॉनर, मोईग मशीन आदि)	Owned/lease	Sufficient
H-III	Horticulturist Graduate/B.Sc Agriculture/ M.Sc. Botany, Degree/Diploma in forestry	उनके पास प्रर्याप्त उपस्कर और औजार आदि (टेंकर, ब्लेड, गड्डे खोदन का यंत्र लॉनर, मोईग मशीन आदि)	Owned/lease	Sufficient
H-IV	प्रथम समय पंजीयन के आधार पर आवश्यक नहीं। 15 लाख से अधिक का कार्य सम्पादित करने पर Horticulturist Graduate/ B.Sc Agriculture/ Degree/Diploma in forestry एवं 25 लाख से अधिक का कार्य सम्पादित करने पर Horticulturist Graduate/B.Sc Agriculture/M.Sc Botany, Degree/Diploma in forestry			


उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

01C  
20/11/19

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर।
- 2 मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
- 3 वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0म0  
जयपुर/जोधपुर।
- 5 उप आवासन आयुक्त वृत्त.....रा0आ0म0,
- 6 आवीय अभियन्ता खण्ड.....रा0आ0म0,

  
तकनीकी सहायक मुख्य अभियन्ता (मु0)

०/८  
५  
३१/११/१९